राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	252/2026, 253/2026 बेणीराम बनाम मुरलीधर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित निर्णय व डिक्री तथा काउन्टर क्लेम के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 252/2026 एवं 253/2026 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 28/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी	
28/04/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1,2,4 लगायत 7 द्वारा जवाब वाद मय काउन्टर क्लेम पेश कर बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने का निवेदन किया गया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05/03/2026 पारित करते हुये वादी का वाद मय प्रतिवादीगण संख्या 1,2,4 लगा. 7 का प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि वाके ग्राम चौमू पटवार हल्का चौमूँ, बी, भू अ. नि. क्षेत्र चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 423 पुराना 1086 के खसरा नम्बर 243 रकबा 0.2566 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 0. 2955 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.0086 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.1175 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.6782 हैक्टेयर तथा कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2081 के खाता संख्या नया 424 पुराना 1087 के खसरा नम्बर 247 रकबा 0.1833 हैक्टेयर खसरा नम्बर 248 रकबा 0.2656 हैक्टेयर खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5605 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.0094 हैक्टेयर भूमि का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारों के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर निर्णय व डिक्री दिनांक 05/03/2026 के विरुद्ध अपील संख्या 252/2026 एवं काउन्टर क्लेम निर्णय व डिक्री दिनक 05/03/2026 के विरुद्ध अपील संख्या 253/2026 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	252/2026, 253/2026 बेणीराम बनाम मुरलीधर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ईकजाई बहस समायत की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित परिक्षण करते हुये एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण करते हुये सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/03/2026 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश 252/2026 व 253/2026 ख़ारिज की जाती है एवं न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि वे बाद सुनवाई पक्षकारान एक माह में वाद का अन्तिम निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर